7/8/20 पत्रावली आज पेश हुई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उप पंजीयक देसूरी) से जरिये पत्रांक/पंजीयन/2020/169 दिनांक 15.7.20 प्राप्त हुआ जो शामिल मिशल हो। उप पंजीयक देसूरी द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 संपरिवर्तन आदेश है जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी कीया गया है तथा बिन्दु संख्या 3 ग्राम पंचायत देसूरी से सम्बन्धित होने के कारण उक्त ग्राम पंचायत से ही प्राप्त की जानी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना उप पंजीयक देसूरी से सम्बन्धित है जिसमें रजिस्ट्रियाँ कब-2 हुई, विक्रेता एवं क्रेता के नाम पते सहित एवं दस्तावेज क्रमांक अंकन नहीं होने पर दी जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती लिहाजा अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 व 3 के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा जावे। एवं बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में वांछित दस्तावेजों की विशिष्टियाँ अंकन कर प्राप्त करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:31:23 IST
Reason: SelfAttested